FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

बगाराम .... बनाम .... पोकरराम वगैरा

किस्म मुकदमा .... राजस्व आवेदन .... नं. 99/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/03/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भाराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27/04/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
27/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील प्राप्त। विप्रार्थी संख्या-8 की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई अतः विप्रार्थी संख्या-8 के वकालतनामा व जवाब तथा शेष की तलबी के इन्तजार में पत्रावली दिनांक-18/05/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – [illegible]	विप्रार्थी सं० 8 के ओर से [illegible] [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण को नोटिस तामील की सूचना प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 8 की ओर से वकील श्री नरपत प्रजापत द्वारा कोर्ट में अण्डर टेकिंग ली गई जिसकी ओर से वकालतनामा पेश नहीं किया गया। विप्रार्थी संख्या-8 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है शेष विप्रार्थीगण भी बावजूद तामील अनुपस्थित रहे जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 30/05/2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SDO) [illegible] जिला — [illegible]
30/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी वकील बहस फाईल करना चाहते है अवसर दिया जाकर दिनांक-23/06/2022 को पेश हो। पत्रावली सहायक कलेक्टर (SDO) [illegible] जिला — [illegible]

अज अदालत
तारीख हुक्म
23/06/20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23/06/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधींनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1003

दिनांक : 23/6/2022

प्रार्थी — बनाम — विप्रार्थीगण

1. बागाराम पुत्र जैसाराम,
जाति जाट, निवासी किसने का तला,
पटवार मण्डल बाटाडु,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. पोकरराम पुत्र जैसाराम वगैरा 25,
जाति जाट, निवासी किसने का तला,
पटवार मण्डल बाटाडु,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 101 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – किसने का तला, पटवार मण्डल – बाटाडु, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1803, 1977 / 1933, 1982 / 1844, 1985 / 1920, 1986 / 1804 रकबा क्रमशः 0.0647, 1.0193, 2.6859, 2.3137, 2.0063 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक

क्रमांक : वाद / 2022 / 1004 – 08

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री बागाराम पुत्र जैसाराम,
4. विप्रार्थी श्री पोकरराम पुत्र जैसाराम वगैरा 25,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु